डीजी परिपत्र संख्याः 02/2023

देवेन्द्र सिंह चौहान
आई०पी०एस०

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ–226010

दिनांकः जनवरी 27, 2023

विषयः मा० संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा० सदस्यों व अन्य जन प्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं आपका ध्यान मा० संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा० सदस्यों व अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन हेतु प्रचलित व्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। मा० संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा० सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकॉल के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन एवं इस मुख्यालय से समय–समय पर पार्श्वांकित कॉलम में अंकित शासनादेश एवं निर्देश निर्गत किये गये हैं। यह संज्ञान में आया है कि इन निर्देशों के सम्यक अनुपालन में शिथिलता बरती जा रही है।

2. उक्त सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों एवं निर्देशों का प्रत्येक थाना, सर्किल, जनपद, परिक्षेत्र, जोन एवं पुलिस कमिश्नरेट स्तर पर अनुपालन करते हुये गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन अपेक्षित है। स्थानीय स्तर पर इन महानुभावों के प्रति अनुमन्य प्रोटोकॉल एवं शिष्टाचार का समुचित प्रदर्शन न होने पर मा० संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा० सदस्यों व अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उ०प्र० शासन में एवं इस मुख्यालय में अधिकारियों से शिकायतें की जाती हैं। महानुभावो की शिकायत से जन सामान्य में पुलिस की छवि धूमिल होती है तथा वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष असहज स्थिति भी उत्पन्न होती है। इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की जाती है :–

> 1–शा.सं0–06/2021/365/90–सं.शि.प.का./2021–02(सं.शि.)/2015 दिनांक 11.11.2021
> 2–शा.सं.02/2022/539/90–सं.शि.प.का./2022–02(सं.शि.)/2015 दिनांक 14.06.2022
> 3–संख्या–डीजी–आठ–94(शासन निर्देश)2022, दिनांक 17.06.2022

1–जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल्स को रिकार्ड/वायरल किया जानाः–

यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि कतिपय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मा० संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा० सदस्यों के फोन से वार्ता के दौरान उनके फोन कॉल्स को रिकार्ड किया जाता है तथा वायरल भी कर दिया जाता है। यह प्रवृत्ति उचित नहीं है। विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के ऐसे क्रिया–कलाप से मीडिया/सोशल मीडिया आदि के माध्यम से जनसामान्य में विभाग के प्रति अनावश्यक विवाद को बढ़ावा मिलता है एवं वरिष्ठ अधिकारियों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है, जो आपत्तिजनक है। अतः सभी अधीनस्थ कार्मिकों को निर्देशित करें कि पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मा० संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा० सदस्यों के फोन से वार्ता के दौरान उनके फोन कॉल्स को रिकार्ड/वायरल न किया जाय।

2–जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्टचार प्रदर्शित किया जायः–

प्रत्येक थाना, सर्किल, जनपद, परिक्षेत्र, जोन एवं पुलिस कमिश्नरेट स्तर पर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ गोष्ठी/बैठक, उनके भ्रमण के दौरान तथा फोन पर वार्ता करते समय, उनके साथ प्रदत्त प्रोटोकाल के तहत शिष्टाचार/सम्मान प्रदर्शित किया जाना चाहिये। ऐसा न करने पर उनके द्वारा शिकायत की जाती है और विभाग को प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है, जो चिन्ताजनक है। अतः प्रत्येक स्तर पर सभी पुलिस कार्मिकों द्वारा मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों को अनुमन्य प्रोटोकॉल के अनुसार उचित शिष्टाचार के साथ सम्मान प्रदर्शित किया जाय।

3–समस्त पुलिस कर्मियों द्वारा अपनी वर्दी पर नाम–पट्टिका लगाया जायः–

यह संज्ञान में आया है कि कतिपय पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वर्दी पर नाम–पट्टिका नहीं धारण की जाती है। यह प्रचलित नियमों के अनुकूल नहीं है, साथ ही ऐसी प्रवृत्ति भी ठीक नहीं है। सभी थाना, सर्किल, जनपद, परिक्षेत्र, जोन एवं पुलिस कमिश्नरेट स्तर पर समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्धारित वर्दी के साथ नाम पट्टिका अवश्य धारण की जाये ।

3. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करने हेतु अधीनस्थों को निर्देशित करते हुए, कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

27/1/2023

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
4. समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0 ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0 ।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उ0प्र0।